मु.नं.–60 / 2021 GCMS ID-2021/100 ता.रजु–13.07.2021

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

रामगोपाल गुप्ता पुत्र स्व. श्री मगनलाल गुप्ता, पता डॉ. महरवाल के सामने, ट्रक यूनियन के पास, गंगापुर सिटी – अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, करौली – प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005

निर्णय दिनांक–26.08.2021

1. प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण अपील की सुनवाई किये जाने में विलम्ब हुआ।
2. अपीलार्थी दिनांक 28.07.21, 05.08.21, 11.08.21, 18.08.21, 25.08.21, 26.08.21 को बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद अपीलार्थी उपस्थित नहीं।
3. अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रत्यर्थी को आवेदन पत्र प्रेषित कर बाग बसंतबुर्ज वर्तमान पटवार हल्का 10 तहसील करौली की 17 बीघा 18 विस्वा जमीन मत्स्य राज्य ग्राम सेवा मण्डल (ग्राम सेवा मण्डल) करौली को आवंटित वर्ष व खातेदारी के नामों की सूचना देने बाबत् तहसीलदार करौली के यहां चिरंजीलाल शर्मा द्वारा प्रस्तुत नामांतरकरण प्रार्थना पत्रों की प्रतिलिपि, कार्यालय तहसीलदार का पत्र क्रमांक 237 / एलआर / 85 दिनांक 08.08.1985 की प्रतिलिपि, आदि सूचनायें चाही गई थीं जिसे प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण यह प्रथम अपील पेश की है।
4. प्रत्यर्थी ने अपीलोत्तर पेश कर निवेदन किया है कि अपीलार्थी का आवेदन दिनांक 15.04.2021 को उनके कार्यालय में प्राप्त होने पर पत्रांक 24 दिनांक 30.04.2021 व 25 दिनांक 30.04.2021 द्वारा अपीलार्थी को बिन्दुबार सूचना साधारण डाक से भिजवाई गई। आवेदक द्वारा चाही गई सूचना का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया एवं उक्त सूचना 36 वर्ष से अधिक पुरानी है। अपीलार्थी को वांछित सूचना समय सीमा में ही भिजवा दी गई थी। उनके कार्यालय द्वारा किसी प्रकार की देरी नहीं की गई है। अंत में अपील, अपीलार्थी को निस्तारित फरमाये जाने का निवेदन किया है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया।
6. प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को अपने विनिश्चय से अवगत करवा दिया गया है। अपीलार्थी द्वारा अपने आवेदन में खसरा नंबर का उल्लेख नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी द्वज्ञरा चाही गई सूचना भी 36 वर्ष पुरानी है। अतः अपील अपीलार्थी को खारिज किया जाना उचित है।
7. अस्तु अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है।
8. निर्णय की प्रमाणित प्रति उभय पक्षकारान को प्रेषित हो।
9. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
10. निर्णय आज दिनांक 26.08.2021 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर
करौली